भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 251

02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: तमिलनाडु में पीएमआरकेवीवाई का क्रियान्वयन

251. श्री जी. सेल्वमः
श्री एस. जगतरक्षकनः
श्री नवसकनी के.:
श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु समेत अलग-अलग राज्यों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएमआरकेवीवाई) के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पीएमआरकेवीवाई के अंतर्गत, विशेषकर तमिलनाडु के कांचीपुरम, रामनाथपुरम और तिरुवन्नामलाई जिलों में लागू की गई परियोजनाओं का विवरण, वर्तमान स्थिति और प्रत्येक परियोजना के लिए निधि के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त जिलों में योजना के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य सुधार, सूक्ष्म सिंचाई, फसल अवशेष प्रबंधन या कृषि वानिकी से संबंधित कोई परियोजनाएं स्वीकृत अथवा पूर्ण की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सुधार लाने हेतु इन जिलों में पीएम-आरकेवीवाई से संबंधित परियोजनाओं की प्रभावशीलता और प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन किया है;

(ङ) देश में गत तीन वित्त वर्षों के दौरान पीएमआरकेवीवाई के अन्तर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार विशेषकर तमिलनाडु राज्य का ब्यौरा क्या है;

(च) तमिलनाडु में पीएमआरकेवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और धनराशि का वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(छ) सतत कृषि, मृदा स्वास्थ्य, सूक्ष्म कृषि, कृषि वानिकी और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएमआरकेवीवाई के मापनीय परिणाम क्या हैं; और

(ज) क्या सरकार की आरकेवीवाई-रफ्तार उप योजना के अंतर्गत तकनीकी को एकीकृत करने, कृषि-उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और नए स्टार्टअपों को समर्थन देने के लिए विशेष कदम उठाने की योजना है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)</u>

(क) और (ङ): राज्यों को कृषि में अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) का कार्यान्वयन देशभर में किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत इस योजना के लिए एक समेकित वार्षिक कार्य योजना, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों को आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण अनुबंध-**I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): जी हां। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में कांचीपुरम, रामानाथापुरम और तिरुवन्नामलाई जिलों में कार्यान्वित परियोजनाओं और योजनाओं, उनकी वर्तमान स्थिति, लक्ष्य और

उपलब्धियों का विवरण अनुबंध ॥ (क, ख और ग) में दिया गया है। उक्त जिलों में पीएम-आरकेवीवाई के विभिन्न घटकों के अंतर्गत स्वीकृत और कार्यान्वित परियोजनाओं का विवरण अनुबंध ॥। में दिया गया है।

(घ): योजनाओं के प्रभाव का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का अंतिम मूल्यांकन, विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए सितंबर 2025 में किया गया था।

(च): संवितरण में तीव्रता लाने और निधियों के समय पर उपयोग के लिए, पीएम-आरकेवीवाई के नए प्रचालन दिशानिर्देश वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन और निधियों को जारी करने के लिए निर्धारित समय-सीमा निम्नानुसार है।

मदें	समय-सीमा
एसएलएससी के अनुमोदन से राज्यों द्वारा एएपी प्रस्तुत करना	31 दिसंबर तक,
राज्यों द्वारा पीएसी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को एएपी/डीपीआर की प्रस्तुत करना	जनवरी-फरवरी
भारत सरकार के अनुमोदन की सूचना राज्यों को प्रदान करना	30 मार्च तक
मूल स्वीकृति/निधि जारी करना	अप्रैल का पहला सप्ताह

वित्त मंत्रालय ने अधिक प्रभावी नकदी प्रबंधन और 'जस्ट-इन-टाइम' के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ आरकेवीवाईवाई सहित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत संवितरण के लिए जुलाई 2023 से एसएनए-एसपीएआरएसएच नामक नई प्रक्रिया प्रारंभ की है। तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, एसएनए-एसपीएआरएसएच मॉड्यूल के माध्यम से तमिलनाडु राज्य को 296.855 करोड़ रुपये और 290.665 करोड़ रुपये की क्रमशः पहली और दूसरी मंजूरी जारी की गई है।

(छ): सॉइल उर्वरता में वृद्धि, सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि, आरएडी के अंतर्गत समेकित किसान यूनिटों की संख्या में वृद्धि, पीकेवीवाई के अंतर्गत जैविक खेती के अंतर्गत लाए गए क्षेत्र में वृद्धि, मशीनीकरण और फसल विविधीकरण में वृद्धि करना मापन योग्य परिणाम हैं।

(ज): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पीएम-आरकेवीवाई के तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्ट-अप्स और कृषि उद्यमियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करके 'नवाचार एवं कृषि-उद्यमिता विकास' कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 6 नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और 24 आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स (आर-एबीआई) स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण और इनक्यूबेट प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उद्यमियों/स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों, नवाचारों, सेवाओं, व्यावसायिक प्लेटफार्मों आदि को बाज़ार में लॉन्च करने और उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता के लिए, उपाय/प्री-सीड चरण में 5 लाख रुपये तक और सीड चरण में 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अनुबंध-I

वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान राज्यवार आवंटन और निर्मुक्ति

							(रुपए करोड़ में)
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	2022-23		2023-24		2024-25	
		आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति
1	आंध्र प्रदेश	580.83	318.56	414.19	205.98	544.08	378.17
2	अरुणाचल प्रदेश	78.25	33.21	58.17	82.41	96.44	72.33
3	असम	325.87	204.50	198.68	300.18	355.82	289.43
4	बिहार	285.52	43.83	192.80	94.64	230.68	199.88
5	छत्तीसगढ़	212.68	149.96	164.60	162.41	198.53	170.17
6	गोवा	30.87	4.69	16.18	4.05	15.90	7.92
7	गुजरात	592.84	185.23	405.76	404.04	428.24	179.81
8	हरियाणा	440.01	161.38	409.40	204.70	381.80	142.36
9	हिमाचल प्रदेश	102.61	15.55	64.46	16.12	77.35	52.26
10	झारखंड	130.26	34.44	114.65	46.57	103.84	40.37
11	कर्नाटक	800.06	357.93	583.24	761.87	652.04	543.76
12	केरल	140.56	130.88	88.80	28.26	104.24	57.12
13	मध्य प्रदेश	606.84	180.67	413.53	258.55	422.04	215.48
14	महाराष्ट्र	733.23	487.33	514.12	255.06	751.35	669.43
15	मणिपुर	109.26	38.92	75.13	59.74	102.41	25.60
16	मेघालय	59.66	1.69	52.73	28.70	61.55	14.98
17	मिजोरम	120.27	30.57	58.12	49.39	67.46	33.74
18	नागालैंड	115.05	128.00	92.44	188.33	176.73	176.73
19	ओडिशा	245.73	43.32	193.00	222.05	216.06	158.26
20	पंजाब	411.87	3.75	336.51	136.63	419.27	166.88
21	राजस्थान	468.77	314.37	362.93	180.97	354.29	320.12
22	सिक्किम	98.25	66.48	66.08	146.41	114.79	85.90
23	तमिलनाडु	799.36	398.92	494.90	694.65	593.79	565.14
24	तेलंगाना	334.30	33.22	170.34	0.00	158.34	48.18
25	त्रिपुरा	119.42	70.63	69.27	92.79	88.49	51.60
26	उत्तर प्रदेश	907.92	482.77	670.49	595.15	651.09	432.06
27	उत्तराखंड	309.63	245.67	173.99	101.69	178.66	121.55
28	पश्चिम बंगाल	269.16	189.91	171.88	254.60	201.42	160.17
	कुल राज्य	**9429.08**	**4356.38**	**6626.39**	**5575.94**	**7746.70**	**5379.38**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3.87	0.00	11.54	1.62	5.57	0.00
30	चंडीगढ़	0.10	0.00	1.92	0.00	1.17	0.00
31	दादरा एवं नागर हवेली	0.10	0.00	13.45	0.00	1.57	0.00
32	दमन एवं दीव	0.10	0.00	2.67	0.00		
33	दिल्ली	0.10	0.00	10.62	0.00	4.17	0.00
34	जम्मू-कश्मीर	39.33	4.81	52.84	26.42	94.79	36.82
35	लक्षद्वीप	2.37	0.00	1.30	0.00	0.94	0.00
36	पुडुचेरी	6.33	4.91	3.24	0.65	6.14	1.54
37	लद्दाख	15.80	0.67	16.56	4.14	14.46	3.62
	कुल संघ राज्य-क्षेत्र	**68.10**	**10.39**	**114.14**	**32.83**	**128.81**	**41.97**
	सकल योग	**9497.18**	**4366.77**	**6740.53**	**5608.77**	**7875.51**	**5421.35**

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक पीएम-आरकेवीवाई के सभी घटक (डीपीआर+एएपी घटक)

अनुबंध – **II** क

पीएम - आरकेवीवाई डीपीआर आधारित पहली किस्त के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए परियोजनावार प्रगति

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	**परियोजना का नाम**	**परियोजना प्रस्ताव की सं.**	**यूनिट**	**कांचीपुरम**				**रामनाथपुरम**				**तिरुवन्नामलाई**			
				वास्तविक		**वित्तीय**		**वास्तविक**		**वित्तीय**		**वास्तविक**		**वित्तीय**	
				लक्ष्य	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
I	**कृषि**														
1	रेडग्राम प्रत्यारोपण तकनीक	23.01	हेक्टेयर									**100**	**100**	**3.875**	3.776
2	तमिलनाडु में मक्का का क्षेत्र और उत्पादन बढ़ाने के लिए मक्का की खेती को बढ़ावा देना	23.02	हेक्टेयर									300	300	18.000	17.993
3	ईएलएस/वैरिएटल कपास के गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन और वितरण	23.03	मीट्रिक टन/ हेक्टेयर					0/85	0/75	0.636	**0.448**				
4	धान का क्षेत्र और उत्पादन बढ़ावा देना	23.04	मीट्रिक टन/ हेक्टेयर	295/19	294.99/5.2	35.540	**34.709**	37.897/0	37.897/0	3.032	**3.032**	504.615/53	504.615/ 37	77.165	75.784

क्रम सं.	परियोजना का नाम	परियोजना प्रस्ताव की सं.	यूनिट	कांचीपुरम				रामनाथपुरम				तिरुवन्नामलाई			
				वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय	
				लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
II	**चीनी**														
5	गन्ना खेती विकास कार्यक्रम	23.12	हेक्टेयर	15.380	15.380	2.240	**0.510**	11.000	0.000	0.900	**0.000**	181.010	40.000	14.750	4.300
6	गन्ना खेती विकास कार्यक्रम (वर्ष 2024-25 की प्रतिबद्ध देयता)	22.11	हेक्टेयर	538.960	538.960	29.500	**29.500**				**0.000**	219.620	219.620	9.650	9.650
7	चीनी मिल की दक्षता में सुधार (वर्ष 2024-25 की प्रतिबद्ध देयता)	22.12	नो	1.000	1.000	8.320	**8.320**				**0.000**	1.000	1.000	1.500	1.510
III	**बागवानी**														
8	बागवानी फसलों का क्षेत्र विस्तार	23.14	हेक्टेयर	241.000	241.000	61.260	**39.984**	10.000	10.000	2.400	**1.200**	882.500	860.500	248.968	85.242
9	बागवानी फसलों के लिए सहायक संरचनाएं	23.16	हेक्टेयर	2.000	2.000	6.000	**6.000**	2.000	1.500	6.000	**3.000**	26.500	14.200	79.500	34.500

क्रम सं.	परियोजना का नाम	परियोजना प्रस्ताव की सं.	यूनिट	कांचीपुरम				रामनाथपुरम				तिरुवन्नामलाई			
				वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय	
				लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
IV	**कृषि इंजीनियरिंग**														
10	किराये संबंधी कार्यकलाप को सुदृढ़ करने के लिए कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद	23.19						15.000	15.000	15.960	**15.960**	17.000	17.000	68.550	68.550
11	किसानों को सब्सिडी सहायता सहित सौर ऊर्जा संचालित बाड़बंदी प्रणाली का प्रावधान	23.23	संख्या में	1 लाभार्थी	1 लाभार्थी	1.210	**0.000**	13 लाभार्थी	10 लाभार्थी	8.151	**8.151**	0.000			0.000
12	फसलोपरांत और मूल्य संवर्धन मशीनरी का वितरण	23.24									**0.000**	1 लाभार्थी	1 लाभार्थी	1.049	1.049
13	मौजूदा खुले कुओं का पुनरुद्धार	23.25	संख्या में	1 लाभार्थी	1 लाभार्थी	2.500	**2.500**				**0.000**	14 लाभार्थी	14 लाभार्थी	7.340	7.340

क्रम सं.	परियोजना का नाम	परियोजना प्रस्ताव की सं.	यूनिट	कांचीपुरम				रामनाथपुरम				तिरुवन्नामलाई			
				वास्तविक		**वित्तीय**		**वास्तविक**		**वित्तीय**		**वास्तविक**		**वित्तीय**	
				लक्ष्य	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
V	**सीड**														
14	गुणवत्तापूर्ण बीज विश्लेषण को बनाए रखने के लिए मरम्मत और नवीनीकरण कार्य करके तीन बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं में भवन इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना (कांचीपुरम, मदुरई, तिरुवन्नामलाई और ऊटी)	23.29	संख्या	1.000	बीज परीक्षण प्रयोगशाला का नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है।	37.000	**17.230**					1.000	बीज परीक्षण प्रयोगशाला का नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है।	3.000	1.463

अनुबंध – II ख

वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास- 2025-26 - वार्षिक लक्ष्य के अनुसार वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	आरएडी योजना	यूनिट	कांचीपुरम				रामनाथपुरम				तिरुवन्नामलाई			
			वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
	समेकित कृषि प्रणाली यूनिट (1 दुधारू गाय या भैंस/बकरी (9+1), फसल घटक, बागवानी फल पौधे, मधुमक्खी पालन यूनिट, वर्मीकम्पोस्ट यूनिट) - 30,000 रुपये/किसान													
1	फसल प्रणाली आधारित खेती - बागवानी फसल घटक @ 2000 रुपये/हेक्टेयर	यूनिट	0	0	0	0	200	140	60	47.96	570	252	171	74.018
2	पशुधन आधारित कृषि प्रणाली- दुधारू गाय-1/छोटे जुगाली करने वाले पशु बकरी/भेड़ (10) बीमा सहित @20,000/-													
3	बागवानी आधारित कृषि प्रणाली (फलों के पौधे) (10-16 पौधे) लागत जिसमें गड्ढे बनाना, रोपण और खाद डालना और परिवहन लागत शामिल है) @400/-													
4	मधुमक्खी पालन यूनिट (मधुमक्खी पालन) @ 1600/- रुपये प्रति यूनिट													
5	एचडीपीई वर्मीबेड (रु. 6000/- प्रति यूनिट)	संख्या												
	कुल		**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**140**	**60**	**47.96**	**570**	**252**	**171**	**74.018**

प्रधान मंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) - 2025-26 पहली किस्त के अनुसार वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	आरकेवीवाई योजनाएं	यूनिट	कांचीपुरम				रामनाथपुरम				तिरुवन्नामलाई			
			वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन	संख्या	161	159	273.9	269.00	25	25	63.5763	63.13966	644	631	798.1733	495.40572
2	प्रति बूंद अधिक फसल	हेक्टेयर	430	172	126.95	53.57	1800	1104	298.18	197.06	8100	4307	2796.68	1550.7
3	कृषि वानिकी	नर्सरियों की संख्या	10	10	45.927	25	1	1	5.154	5	5	5	25.462	15
5	सॉइल हेल्थ एवं उर्वरता	मिट्टी के नमूनों/एसएचसी की संख्या	7100	5536	9.952	9.64	12700	12700	14.819	14.256	25315	16723	55.821	48.178
6	परम्परागत कृषि विकास योजना	हेक्टेयर	100	100	8.641	7.38	400	400	30.774	24.11	600	600	58.795	44.0326
	कुल				**465.37**	**364.59075**			**412.503**	**303.56566**			**3734.931**	**2153.31632**

अनुबंध-III

तमिलनाडु के उक्त जिलों में स्वीकृत और कार्यान्वित परियोजनाएं

सॉइल हेल्थ में सुधार: पीएम-आरकेवीवाई के तहत, सॉइल हेल्थ में सुधार के लिए, क्षेत्रवार मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है और प्रमुख पोषक तत्वों, सूक्ष्म पोषक तत्वों और कार्बनिक सामग्री को दर्शाने वाले सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को वितरित किए जाते हैं ताकि उर्वरक उपयोग को विनियमित किया जा सके और सॉइल हेल्थ को बनाए रखा जा सके, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

जिले का नाम	2024-25		2025-26	
	एकत्रित किए गए मिट्टी के नमूनों की संख्या	वितरित किए गए सॉइल हेल्थ कार्ड की संख्या	एकत्रित किए गए मिट्टी के नमूनों की संख्या	वितरित किए गए सॉइल हेल्थ कार्ड की संख्या
कांचीपुरम	7100	7100	7100	5536
रामानाथापुरम	13650	13650	12700	12700
तिरुवन्नामलाई	26852	26852	25315	16723
कुल	47602	47602	45115	34959

सूक्ष्म सिंचाई: वर्ष 2007-08 (योजना की शुरुआत से) से 2024-25 तक, कांचीपुरम में 17,753 हेक्टेयर, रामानाथापुरम में 12,517 हेक्टेयर और तिरुवन्नामलाई जिले में 82,896 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना की गई है।

फसल अवशेष प्रबंधन: फसल अवशेष प्रबंधन के लिए, एसएमएएम फसल अवशेष प्रबंधन के तहत स्ट्रॉ बेलर, नारियल फ्रॉन्ड चॉपर, ब्रश कटर जैसी मशीनरी किसानों को सब्सिडी के तहत प्रदान की जाती है।

कृषि-वानिकी: कृषि-वानिकी योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के दौरान, जिलेवार नर्सरी का विवरण नीचे दिया गया है। प्रत्येक नर्सरी में 25,000 गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन किया जाएगा और किसानों को रोपण हेतु वितरित किया जाएगा। सभी जिलों में, नर्सरियों में गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम) का उत्पादन प्रगति पर है और किसानों को क्यूपीएम का वितरण 15 दिसंबर, 2025 से प्रारंभ किया जाएगा:

जिले का नाम	वर्ष 2025-26 के दौरान कृषि वानिकी पौध उत्पादन के अंतर्गत नर्सरियों की संख्या
कांचीपुरम	10 नर्सरियां
रामनाथपुरम	1 नर्सरियां
तिरुवन्नामलाई	3 नर्सरियां

*****